

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 790/2012/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी  
सूरतगढ़, श्रीगंगानगर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स वर्धमान मिल्स,  
सूरतगढ़, श्रीगंगानगर।

.....प्रत्यर्थी.

क्रॉ.ऑ. संख्या – 1250/2013/श्रीगंगानगर

मैसर्स वर्धमान मिल्स,  
सूरतगढ़, श्रीगंगानगर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी  
सूरतगढ़, श्रीगंगानगर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.एम.पेडीवाल,  
अभिभाषक

.....व्यवसायी की ओर से.


श्री अनिल पोखरणा,  
उप राजकीय अभिभाषक

.....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/07/2014

निर्णय

1. यें अपीलें अपीलार्थी विभाग एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।
2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही व्यवसायी से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावें।
3. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि व्यवसायी द्वारा वर्ष 2006-07 के क्लॉजिंग स्टॉक में रूपये 20,24,925/- की 1425 नग रजाई का अंतिम स्टॉक दर्शाया है। जिसके अनुसार एक रजाई की कीमत रूपये 1,421/- आती है जो रूपये 750/- से अधिक होने से कर योग्य है। अतः वाणिज्यिक कर अधिकारी, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा ओपनिंग स्टॉक रूपये 20,24,925/-, पर आदेश दिनांक 27.03.2010 से यह मांग पारित कर, कर योग्य बिक्री पर 4 प्रतिशत से कर रूपये 80,846/- व ब्याज रूपये 21,828/-, शास्ति रूपये 1,61,692/- आरोपित की गयी है। साथ ही स्टॉक रजिस्टर नहीं रखने के अपराध में धारा 59 के तहत रूपये 5000/- शास्ति आरोपित की गई है जिसे भी विवादित किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय



लगातार.....2

अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 23.06.2011 से आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि व्यवहारी की बिक्री प्रति नग 750/— रुपये से कम मूल्यों की रजाईयों की है। उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, साथ ही रुपये 5000/— शास्ति अन्तर्गत धारा 59 को अपास्त करने के आदेश के विरुद्ध भी यह अपील प्रस्तुत की गई है।

**क्रॉस आब्जे. 1250/2013/श्रीगंगानगर :-** उक्त अपील में अपीलार्थी व्यवहारी मैसर्स वर्धमान मिल्स, सूरतगढ़ द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.06.2011 के विरुद्ध यह द्वितीय अपील शास्ति धारा 61 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

व्यवहारी द्वारा कर मुक्त रजाईयों की बिक्री की गई है तथा उक्त रजाईयों के निर्माण हेतु खरीदे गये कर योग्य माल का इनपुट टैक्स क्रेडिट अविधिक तरीके से क्लेम कर लिया गया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.03.2010 से अस्वीकार कर रिवर्स टैक्स 23,122/— व धारा 61 के तहत शास्ति रुपये 46,244/— आरोपित की गई थी। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलीय अधिकारी के द्वारा आई.टी.सी. को अमान्य कर आरोपित किये गये रिवर्स टैक्स, ब्याज एवं शास्ति को कायम रखते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दी गई उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा शास्ति के बिन्दु पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. विभाग की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि व्यवहारी का वर्ष 2006-07 का क्लॉजिंग स्टॉक जो 2007-08 में ओपनिंग स्टॉक है में रुपये 20,24,925 की नग 1425 रजाईयां क्लॉजिंग स्टॉक में बताई गई थी जिसके अनुसार प्रति नग रजाईयों की कीमत रुपये 1421/— आती है, जो कि कर मुक्त सीमा 750/— से अधिक है। अतः ये समस्त स्टॉक पूर्णतया कर योग्य था जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा 750 से कम मूल्य की रजाईयां मानकर उन्हें कर मुक्त रजाईयां मानकर जो निर्णय दिया है वह पूर्णतया अविधिक है एवं तथ्यों से परे है। अतः उक्त स्टॉक को कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा उचित रूप से कर योग्य माना गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाने हेतु निवेदन किया। साथ ही व्यवहारी एक निर्माणकर्ता है। अतः उसे स्टॉक रजिस्टर धारा 71(1)(2) सपठित नियम 24 के तहत रखना चाहिये था जो उसके द्वारा नहीं रखा गया है। इस कृत्य के लिये नियमानुसार धारा 59 के तहत शास्ति रुपये 5000/— आरोपित की गयी थी। जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा भूल की गयी है। अतः उसे अपास्त कर शास्ति को कायम रखने हेतु निवेदन किया। व्यवहारी की क्रॉस आब्जेकशन अपील के संबंध में उन्होंने कथन किया कि धारा 18 के अनुसार कर मुक्त माल के निर्माता को आई.टी.सी. देय नहीं है। इसके उपरान्त भी नियम विरुद्ध आगत कर का क्लेम लेकर अपीलार्थी के द्वारा अपराध किया




गया है अतः आरोपित शास्ति नियमानुसार उचित है जिसे कायम रखा जाये व अपीलार्थी की अपील को इस बिन्दु के अनुसार निरस्त किया जावे।

6. व्यवसायी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री एस.एम.पेडीवाल ने कथन किया कि उनके द्वारा समस्त रजाईयों के बिक्री बिल जारी किये गये है जिनकी प्रतियां रेकार्ड के लिये अपील स्तर पर प्रस्तुत भी की गई है जो पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध है। इनके अनुसार समस्त बिक्री 750/- रुपये से कम मूल्य की रजाईयों की है। अतः अपीलीय अधिकारी के द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार कर उचित निर्णय पारित किया है जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः इस बिन्दु पर विभाग की अपील निरस्त की जावे। अपनी क्रॉस अपील के संबंध में शास्ति के बिन्दु पर अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा तर्क दिया कि समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज है तथा भूलवश अपीलार्थी के द्वारा आई.टी.सी. क्लेम कर ली गई थी जिसे नोटिस के जवाब में गलती को स्वीकार कर आई.टी.सी. को गलती से क्लेम करना मानकर छोड़ दिया गया था। अतः उसके समस्त संव्यवहार सद्भावी थे अतः धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया जावे।


6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। निर्णय इस प्रकार किया जाता है :-

**अपील संख्या 790/2012/श्रीगंगानगर** अपीलार्थी विभाग के द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है इसमें अपीलीय अधिकारी के द्वारा व्यवहारी द्वारा अपील स्तर पर प्रस्तुत किये गये बिलों के आधार पर रजाईयों को 750/- रुपये से कम मूल्य की मानकर कर मुक्त होना निर्णित किया है। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार इस वर्ष के ओपनिंग स्टॉक में रुपये 20,24,925/- की नग 1425 रजाईया होना व्यवहारी के स्वयं के द्वारा घोषित किया गया है। जिसमें प्रति नग कीमत रुपये 1421/- आती है जो कि कर मुक्त की सीमा से प्रति नग अधिक मूल्य आता है। अतः अपीलीय अधिकारी के द्वारा इस तथ्य पर विचार किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो कि अनुचित है। जब स्टॉक का मूल्य ही कर मुक्त सीमा से अधिक आता है तो उसे कर मुक्त नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी का आदेश तथ्यों के विरुद्ध होने से अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः जांच हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि वे समस्त तथ्यों पर विचार कर व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः आदेश पारित करे। परिणामतः अपीलार्थी विभाग की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। साथ ही धारा 59 के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोपित शास्ति 5000/-रुपये अधिकतम है। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्णतया हटा दिया गया है। व्यवहारी निर्माणकर्ता है तथा उसे स्टॉक रजिस्टर रखा जाना चाहिये था। परन्तु शास्ति अधिकतम आरोपित की गयी है जिसे घटाकर रुपये 1000/- कायम रखी जाती है शेष रुपये 4000/- को अपास्त किया जाता है।



क्रॉस आब्जेकशन 1250/2012/श्रीगंगानगर उक्त अपील के संबंध में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा जब समस्त बिक्री कर मुक्त रजाईयों की घोषित की है तो वह आगत कर लेने का हकदार नहीं है एवं कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा उक्त अपराध हेतु जो शास्ति आरोपित की है वह पूर्णतया उचित है। अतः इस संबंध में आरोपित शास्ति को उचित मानते हुए अपीलीय अधिकारी के द्वारा उसे यथावत रखा गया है अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामतः इस शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
9-2-14  
( अमर सिंह )  
सदस्य